न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी — श्री संजीव कुमार खेदड (आरएएस)

प्रार्थना पत्र संख्या — 13/2025

उनवान मुकदमा

1. मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेसर मामटोरी खुर्द, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये भागीदार/प्रो0 हरिओम सिंह पुत्र भागमल सिंह, उम्र–वयस्क, निवासी कंवरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड, राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (जयपुर) राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 08/01/26

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 220/2/0.30, 747/2/0.13, 748/2/0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अन्य के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित आराजी खातेदार नन्दलाल पुत्र चन्दा बलाई निवासी नवलपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर से आराजी का औधौगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश करवाकर दिनांक 29.11.2004 को खरीद किया है तब से लेकर आज तक प्रार्थी आराजी पर मैसर्स श्री बालाजी स्टोन क्रेसर लगाकर आराजी पर अपना व्यवसाय कर रहा है। आराजी के खातेदार नन्दलाल के द्वारा भूमि का संपरिवर्तन करवाकर प्रार्थी को बेचान किया गया है तभी से प्रार्थी उक्त भूमि पर संपरिवर्तन आदेशानुसार कब्जा कर आराजी पर व्यवसाय करता हुआ चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी खरीदशुदा औधौगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि आराजी खसरा नंबर 220/2/0.30, 747/2/0.13, 748/2/0.32 है0 भूमि के खरीद के समय ही तारबाउण्ड्री बनाकर चारो तरफ 6–6 फुट उंची पुख्ता दीवार लगाकर उसमें मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेसर लगाकर अपना व्यवसाय कर रहा है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.11.2004 के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की जाकर गलत रूप से न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 18.11.2004 के विपरीत जाकर व मौका रिपोर्ट के विपरित तरमीम की गई है

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

जिसे दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम मौका रिपोर्ट व आदेश दिनांक 18.11.2004 की अनुपालना में करवायी जाकर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.11.2004 की अनुपालना व मौका रिपोर्ट के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की जाकर गलत रूप से की गई है, जबकि प्रार्थी का आराजी पर भौतिक कब्जा संपरिवर्तन आदेश के अनुसार चिन्हित भूमि पर ही चला आ रहा है, लेकिन अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत रूप से की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। उक्त जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा बिना किसी देरी के उनवानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजीयात वाकै ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की नक्शा ट्रेस में तरमीम संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.11.2004 के अनुसार व मौका स्थिति के अनुसार करवाई जाकर उसका अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में करवाया जावे व अप्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार तहसील–शाहपुरा को जवाब हेतु लिखा गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/6217 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं अपने प्रार्थना–पत्र की ताईद करते हुए प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम मामटोरी खुर्द के खसरा नंबर 220/2/0.30 है0, 747/2/0.13 है0, 748/2 रकबा 0.32 है0, किता 3 कुल रकबा 0.75 है0 में बालाजी स्टोन केसर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की जांच के अनुसार नामा0 संख्या 461 में संपरिवर्तन आदेश के द्वारा मूल खसरा नंबर 220, 747, 748 किता 3 रकबा 1.42 है0 में से 0.75 है0, संपरिवर्तन के द्वारा नया खसरा नंबर 220/2, 747/2, 748/2 किता 3 रकबा 0.75 है0 बना जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्कालीन पटवारी द्वारा नजरी नक्शे में बटा 3 नंबर डाल दिया जो कि गलत है। वर्तमान राजस्व नक्शे में उपरोक्तानुसार खसरा नंबरान में बटा नंबर 2 तक ही है। मौके स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 220/1, 220/2, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2 में खसरा नंबर 220/2, 747/2, 748/2 में बालाजी स्टोन केसर स्थित है तथा खसरा नंबर 220/1, 747/1, 748/1 में अन्य खातेदार की खातेदारी है। रिपोर्ट के संलग्न संपरिवर्तन में प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व नक्शे

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

में नियमानुसार शुद्धि हेतु निवेदन किया गया है। चूंकि प्राप्त रिपोर्ट से वकील प्रार्थी सहमत है एवं तहसीलदार रिपोर्ट में भी प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने बाबत् अभिशंषा की है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शे में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

अतः उपुर्यक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा नंबर 220/2/0.30 है0, 747/2/0.13 है0, 748/2 रकबा 0.32 है0, किता 3 कुल रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर के नक्शा ट्रेस में पूर्व में की गई तरमीम, तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)